UPMI010038492022

न्यायालय Additional District and Sessions Judge/POCSO Act, Mirzapur

पीठासीन अधिकारी– (TALEWAR SINGH), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) –** UP06475

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या **1816/2022**
छोटू हरिजन बनाम राज्य
धारा–380,411,457 भा.दं.संहिता,
थाना–कोतवाली कटरा, जनपद मीरजापुर।
मुकदमा अपराध संख्या **195/2022**

28.10.2022

आवेदक अभियुक्त छोटू हरिजन की ओर से अपराध सं0 195/2022, अन्तर्गत धारा 380,411,457 भा.दं.संहिता, थाना कोतवाली कटरा, मीरजापुर में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करके यह उल्लिखित किया गया है कि यह आवेदक की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके पूर्व इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कोई जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नही किया गया है न विचाराधीन है न ही निरस्त किया गया है और इसी आशय का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीरजापुर द्वारा दिनांक 06.10.2022 को खारिज किया गया है, जिसकी सत्य प्रतिलिपि जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा विकास माली ने थाना कोतवाली कटरा में इस आशय का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी मुहल्ला पुरानी दषमी राजेष बालू वाले के पीछे कालोनी में मेरा घर है जिसमें दो किरायेदार रहते है, अपने घर पर 10–10 फीट लोहे का गाटर ढलैया के लिए रखा था कि आज रात समय 3.00 बजे दो चोर मिलकर मेरा गाटर चुरा के ले जा रहे थे तब तक मुहल्ले वाले देख लिए और दौड़ाकर पकड़ लिए। पकड़ते समय एक चोर गिर गया जिससे उसके मुंह पर चोट लग गयी। उन दोनों चोरो का नाम राकेश कुमार मौर्य व छोटू हरिजन है जिन्हें सामान सहित राजकुमार मौर्या, पप्पू मौर्या, राजन माली, बब्बु यादव, अन्नु मौर्या के साथ दोनों चोरो को गाटर सहित लेकर आया हूँ। एफ.आई.आर. लिखकर कार्यवाही करने की कृपा की जाय।

आवेदक अभियुक्त की ओर से अपने जमानत प्रार्थनापत्र में यह उल्लिखित किया गया है कि अभियोजन कथानक काल्पनिक, बनावटी व झूठी है। सत्यता यह है कि प्रार्थी को थाना हाजा की पुलिस महज शंका के आधार पर घर से पकड़कर थाने ले आयी। इसके बाद उपरोक्त मुकदमा में नामजद करते हुए चालान न्यायालय कर दिया। प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है और कोई अपराध कारित नही किया है। घटना का कोई पब्लिक गवाह प्रथम सूचना रिपोर्ट के अंकित तथ्यों में नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध कोई अपराध नही बनता है। प्रार्थी के कब्जे से कोई भी चोरी का लोहे के गाटर की बरामदगी नही हुयी है न ही प्रार्थी का बरामद चोरी का लोहे के गाटर से कोई वास्ता सरोकार ही है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी दिनांक 02.10.2022 से जिला कारागार मीरजापुर में निरूद्ध है। अतः जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है जबकि घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र एक किलोमीटर है। अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नही हुयी है। बरामदगी का कोई जनता का गवाह भी नही है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। अभियुक्त दिनांक 02.10.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त को फर्जी व झूठा फंसाया गया है। उसे जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त की गिरफ़्तारी मौके पर चोरी के लोहे के गाटर सहित हुयी है। घटना में अभियुक्त एक अन्य सह अभियुक्त के साथ संलिप्तता था। अतः अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौजदारी'' को सुना तथा थाने की आख्या का अवलोकन किया।

उभय पक्ष के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध लोहे की गाटर चोरी किये जाने एवं उसे बरामद होने का आक्षेपण है जबकि प्रार्थी अभियुक्त की ओर से उक्त बरामदगी से इंकार किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र एक किलोमीटर है और अभियुक्त को मौके पर ही गाटर सहित पकड़ लिए जाने का कथन भी किया गया है, फिर भी प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त के पास से बरामदगी का कोई स्वतन्त्र जन साक्षी नही है। इसी आशय का अभियुक्त की ओर से शपथपत्र भी दिया गया है। सम्बन्धित थाने द्वारा प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक इतिहास होने या न होने के सम्बन्ध में आख्या मंगाये जाने के बावजूद भी नही प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 02.10.2022 से जिला कारागार, मीरजापुर में निरूद्ध है। प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त छोटू हरिजन का जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी अभियुक्त द्वारा 50,000/–रूपये (पचास हजार) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर दाखिल करने पर एवं इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करने पर कि– वह जमानत का दुरूपयोग नही करेगा, विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा, साक्ष्य से छेड़–छाड़ नही करेगा, साक्षियों को डरायेगा धमकायेगा नही, न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने न्यायालय उपस्थित होगा, उसे जमानत पर अवमुक्त किया जाये।

दिनांक, 28.10.2022

(तालेवर सिंह)
अतिरिक्त पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।